दूरभाष एवं फैक्सः 05946–221614
ई.मेलः zsknanital-uk@gov.in

पत्रॉक– 112 / मा.मु.घो / 2023–24 /
कार्यालय जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
हल्द्वानी जिला–नैनीताल (उत्तराखण्ड) 263139

दिनांक 23 अप्रैल 2024

सेवा में,

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी (नैनीताल)

23/4/2024

विषय : जनपद – नैनीताल हल्द्वानी में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 309 / 2020 के अन्तर्गत शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी हुई वन विभाग की 01 बीघा भूमि पर पूर्व सैनिक / शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेत सैनिक कल्याण एंव पुनर्वास विभाग को प्रत्यावर्तन ।(Online No. FP/UK/Others/151759/2022)

महोदय,

1. उपरोक्त विषयक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, उत्तराखण्ड के संख्या 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 40 / 2022 / एफ.सी / 1180 दिनांक 05.12.2022, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या FP/UK/OTHERS/151759/2022 दिनांक 24.12.2022 एवं आपके पत्र संख्या 5284 / 12–1 दिनांक 01.03.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय, उत्तराखण्ड के संख्या 8बी / यू0सी0पी0 / 09 / 40 / 2022 / एफ.सी / 1180 दिनांक 05.12.2022 द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव के सापेक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है । सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तों के सापेक्ष अक्षरशः अनुपालन आख्या नियत प्रारूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

S.No	Conditions	Compliance
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी ।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 126 पौंधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि @ CA rate for 0.126 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी । जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षो के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि रू0 2,23,146.00 बैंक आफ बडौदा, शाखा हल्द्वानी द्वारा चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निम्न खाते में जमा कर दी गयी है । आनलाइन भुगतान के साक्ष्य की प्रति संलग्न की जा रही है। UTTARANCHAL CAMPA, A/C No. 15089199151759164 IFSC Code – UBIN0996335 Branch – UBI, FCS Centre 21/1 III Floor Jelitta Towers Mission Road Bengaluru-560027 UTR No. – BARBRS202403220929788 Dt. Of Transaction – 22 Mar 2024

	(ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	(ख) कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है ।
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एस0पी कार्य, प्रस्तावित कैंचमैंट एरिया ट्रीटमैंट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।	(ग) कार्यवाही वन विभाग से संबंधित है ।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो क्षतिपूरक बनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक बनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा । इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपर्युक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्राक 5–1/1998–एफ.सी.(Pt-2) दिनांक 18. 09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.63 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी ।	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 60,340.00 बैंक आफ बड़ौदा, शाखा हल्द्वानी द्वारा चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निम्न खाते में जमा कर दी गयी है । आनलाइन भुगतान के साक्ष्य की प्रति संलग्न की जा रही है। UTTARANCHAL CAMPA, A/C No. 150891991517591 64 IFSC Code – UBIN0996335 Branch – UBI, FCS Centre 21/1 III Floor Jelitta Towers Mission Road Bengaluru-560027 UTR No. – BARBRS2024032200929788 Dt. Of Transaction – 22 Mar 2024
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण स वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा ।	(ख) प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 07 वृक्षों एवं पातन हेतु 04 यूकेलिप्टस वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
8	गाईडलाइन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राजय सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी । साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा । एफआरए, 2006 के अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 40 से 46 पर संलग्न है । प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनुपालन आख्या के साथ प्रेषित है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
14	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	इस शर्त का पालन किया जायेगा ।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जाएगा ।

19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
20	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जाएगा।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
21	यदि कोई अन्य संबधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	इस शर्त का अनुपालन किया जायेगा ।

3. उपरोक्त अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

4. अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति (स्टेज–2) हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे कि महत्वपूर्ण परियोजना का कार्य समयानुसार पूर्ण किया जा सके।

भवदीय,

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः–

निदेशालय
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास उत्तराखण्ड
15 सी कालीदास मार्ग, पो0 हाथीबडकलां
देहरादून – 248 001
– सूचनार्थ प्रेषित।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-03-2024

Agency Name.	ZILA SAINIK KALYAN EVAM PUNARVAS HALDWANI, NAINITAL.
Application No.	199151759164
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/40/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Zila Sainik Kalyan Evam Punarvas Haldwani, Stadium Road Badripura, Haldwani.Nainital
Amount(in Rs)	283486/-

Amount in Words :Two Lakh Eighty-Three Thousand Four Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15089199151759164 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-03-2024

Agency Name.	ZILA SAINIK KALYAN EVAM PUNARVAS HALDWANI, NAINITAL.
Application No.	199151759164
MoEF/SG File No.	8B/UCP/09/40/2022/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Zila Sainik Kalyan Evam Punarvas Haldwani, Stadium Road Badripura, Haldwani. Nainital
Amount(in Rs)	283486/-

Amount in Words :Two Lakh Eighty-Three Thousand Four Hundred and Eighty-Six Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	15089199151759164 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank , ubin0903710@unionbankofindia.bank

01/5236

BARBR52024032200929786

Zila Nainital Sainik Kalyan Evam Punarwas Adhikari

बैंक ऑफ़ बड़ौदा / BANK OF BARODA
हल्द्वानी मुख्य शाखा जिला नैनीताल
22 MAR 2024
अंतरण / TRANSFER

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/Others/151759/2022 Construction of Dovelepment Centre.	OTHERS 15175920 22164	199151759164	05 Dec 2022	CA: 223146/-, PCA: 0/-, Safety Zone: 0/-, NPV: 60340/-, Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 283486/- Addl CA : 0/- CAT : 0/- Addl PA : 0/- Other Charges : 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On :14 Mar 2024 Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :16 Mar 2024 Transaction Date :22 Mar 2024	Demand Letter Generated Challan

SWACHH BHARAT

Digital India
Power To Empower

प्रपत्र-29

परियोजना का नाम- मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या 309/2020 शहीद स्मारक एवं [illegible] बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नगर पंचायत का नाम -- लालकुआँ, वार्ड- बंगाली कॉलोनी, वार्ड सं0-07

तहसील- लालकुआँ, जिला- नैनीताल।

<u>आम सभा बैठक प्रमाण-प्रत्र।</u>

उत्तराखण्ड में जनपद- नैनीताल के अन्तर्गत लालकुआँ में विकास केन्द्र के निर्माण हेतु (0.063 है0 आरक्षित वन भूमि, शून्य है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.063 है0 वन भूमि का जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला- नैनीताल के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0-07, नगर पंचायत लालकुआँ द्वारा दिनांक .... को सम्पन्न ग्राम सभा की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0-07, नगर पंचायत लालकुआँ के वासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो कि सत्य एवं सही है।

[illegible]
सभासद
न0 पं0 लालकुआँ
जिला- नैनीताल

नगर पालिका अध्यक्ष
नगर पंचायत लालकुआँ
जिला-नैनीताल

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम– मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

दिनांक .... को वार्ड वासियों की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

नगर पंचायत लालकुआँ, बंगाली कॉलोनी, वार्ड सं0–07

क्रमांक	बैठक में सभा में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री हेमन्त पाण्डे सभासद वार्ड–6	[signature]
2.	श्रीमती राज लक्ष्मी सभासद वार्ड–7	[signature]
3.	श्री धन सिंह सभासद वार्ड–2	[signature]
4.	श्री दीपक वर्मा सभासद वार्ड–4	[signature]
5.	श्री योगेश उपाध्याय सभासद वार्ड 3	[signature]
6.	श्री बलवीर सिंह कोरंगा	[signature]
7	श्री चन्दन सिंह राणा	[signature]
8–	श्री देवेन्द्र सिंह रावल वार्ड नं02	[signature]
9	दीवान सिंह बिष्ट अध्यक्ष व्यापार मण्डल	[signature]
10	लक्ष्मण सिंह बिष्ट मण्डल कार्यवाह लालकुआँ	[signature]
11	इन्द्र सिंह तुलेरा	[signature]
12–	सत्येन्द्र पाण्डे	[signature]
13	ओमप्रकाश अध्यक्ष ग्राम आदर्श पार्क लालकुआँ 9761038858	[signature]
14	श्री गोविन्द शर्मा	
15	श्री हिम्मत सिंह	हिम्मत सिंह
16	श्रीमती जानकी देवी	जानकी देवी
17	श्रीमती आशा देवी	Asha
18	श्री विक्रम कठायत	
19	श्रीमती गीता शर्मा	[signature] गीता शर्मा
20	श्री भोला राम	[signature]
21.	श्री देवकी नन्दन गुप्ता	[signature]
22.	श्री आशाराम गुप्ता	आशाराम गुप्ता
23	श्री विक्रम गुप्ता	[signature]

[signature]
नगर पंचायत
अध्यक्ष
नगर पंचायत लालकुआँ
जिला-नैनीताल

वार्ड मेम्बर

प्रपत्र– 23.2

<u>परियोजना का नाम</u>– मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी लालकुआँ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड स्तरीय समिति लालकुआँ परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु (0.063 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.063 है० वन भूमि) का जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–लालकुआँ) की दिनांक .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी लालकुआँ एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री मनीष कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी लालकुआँ, अध्यक्ष।
2– श्री ध्रुव सिंह मर्तोलिया, उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला, सदस्य।
3– श्री राहुल आर्या, सहायक समाज कल्याण अधिकारी, लालकुआँ, सदस्य/सचिव।
4– श्री दीपक आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य लाखनमण्डी, सदस्य।
5– श्रीमती कमला आर्या, क्षेत्र पंचायत सदस्य ईसाईनगर, सदस्य।
6– श्री सुरेश भारती, क्षेत्र पंचायत सदस्य खनवाल कटान, सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी हल्द्वानी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है० वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। बंगाली कॉलोनी वार्ड सं०–07, नगर पंचायत लालकुआँ के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुसंशा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी गौला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में बंगाली कॉलोनी वार्ड सं०–07, नगर पंचायत लालकुआँ द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड, लालकुआँ परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है० वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– लालकुआँ।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– लालकुआँ।

प्रपत्र-23.3

परियोजना का नाम- मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर, बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद- नैनीताल के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है० वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास हल्द्वानी, जिला- नैनीताल को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति लालकुआँ तथा सम्बन्धित ग्रामसभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण-पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

परियोजना का नाम– मा० मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या 309/2020 शहीद स्मारक एवं सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

जिला स्तरीय समिति, नैनीताल

जिला स्तरीय समिति नैनीताल उपखण्ड लालकुआँ परिक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु (0.063 है० आरक्षित वन भूमि, शून्य है० सिविल एवं सोयम वन भूमि, शून्य है० वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 0.063 है० वन भूमि) का जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत जिला स्तरीय समिति (नैनीताल) की दिनांक 29.01.2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति (नैनीताल) की बैठक श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी नैनीताल एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, जिलाधिकारी नैनीताल, अध्यक्ष।
2– श्री संदीप कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी, सचिव/सदस्य।
3– श्री दीपांकर घिल्डियाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी नैनीताल, सचिव/सदस्य।
4– श्री आनन्द सिंह दरम्वाल, जिला पंचायत सदस्य ...., सचिव/सदस्य।
5– श्रीमती निवेदिता जोशी, जिला पंचायत सदस्य ...., सचिव/सदस्य।
6– श्री मोहन सिंह बिष्ट, जिला पंचायत सदस्य ...., सचिव/सदस्य।

जिला सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए जिलाधिकारी नैनीताल की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है० वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0–07, नगर पंचायत लालकुआँ के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वन भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुऐ जानकारी से माननीय सदस्यों को को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में बंगाली कॉलोनी वार्ड सं0–07, नगर पंचायत लालकुआँ द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से जनपद नैनीताल के अर्न्तगत उक्त विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है० वन भूमि जिला सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास हल्द्वानी, जिला– नैनीताल को जनहित में सक्षम प्राधिकारी के अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
नैनीताल।
जिलाधिकारी
नैनीताल

परियोजना का नाम- मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या-309/2020 शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

Annexure-II

Form-II

(for projects other than linear projects)

Goverment of Uttarakhand

Office of the District Collector Nainital (U.K.)

Dated 28/01/2022

No. 1684

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No.119/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completd the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.063** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of District Soldier Welfare and Rehabilitation, Haldwani, Nainital for the Construction of Development Center in Nainital District falls within jurisdiction of Lalkuan Nagar Panchayat, Bangali Colony Ward No- 07(s) in Lalkuan tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.063 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records off all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the Distict Level Committee are enclosed as annexure- 23 to 23.3 annexure II.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;

(c) The each concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/ pocesses under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose of and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Bangali Colony Ward No-07(s) is enclosed as annexure-23 to annexure-23.3 and Annexure II.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% members of Gram Sabha present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under sation 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha metting have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA;

Encl: As above

Signature

(Full name and oficial seal of the District Collector)

जिलाधिकारी

नैनीताल।

परियोजना का नाम– मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा संख्या–309/2020 शहीद स्मारक पार्क सैक्टर बिन्दुखत्ता में पूर्व सैनिकों/शहीदों के आश्रितों के प्रशिक्षण एंव आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र का निर्माण।

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT– Nainital (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Dheeraj Singh Garbyal, I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated ....28/01/2022.... at time 4:00 PM at Nainital in which application claiming rights in 630 Sq. Meter/area measuring 0.063 hectares for the Construction of Development Center. Forest land under FRA, 2006 of the following applicants duly processed and recommended by the sub division level committee of Haldwani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence district level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place ...Nainital...

Dated ...28/01/2022

Deputy Commissioner cum chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
नैनीताल।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com; Phone: 05946-254209, Fax: 05946-250299

पत्रांक 6594/12-1 दिनाँक 10/5/ 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

विषयः— जनपद—नैनीताल हल्द्वानी में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—309/2020 के अंतर्गत शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी वन विभाग की 01 बीघा भूमि पर प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online No. FP/UK/Others/151759/2022)**

संदर्भः— जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, हल्द्वानी का पत्रांक—112/मु0मं0घो0/2023—24 दिनांक—23.04.2022। (संलग्न - 1)

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रकरण में भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक— 8बी./यू.सी.पी./09/40/2022/एफ0सी0/1180 दिनांकः 05.12.2022 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या—309/2020 के अंतर्गत शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी वन विभाग की 01 बीघा भूमि पर प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति कई शर्तो एवं प्रतिबन्धों पर प्रदान की गयी है। प्रयोक्ता अभिकरण ने उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्धों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की है। जिसका विवरण निम्न प्रकार हैः—

S. No	Conditions	Compliance
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी ।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 126 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं	(क) प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रतिपूरक वनीकरण के

	दस वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि @ CA rate for 0.126 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी । जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	लिए धनराशि रू0 2,23,146.00 बैंक आफ बड़ौदा, शाखा हल्द्वानी द्वारा चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निम्न खाते में जमा कर दी गयी है । आनलाइन भुगतान के साक्ष्य की प्रति संलग्न की जा रही है। (संलग्न -2) UTTARANCHAL CAMPA, A/C No. 150891991517591 64 IFSC Code – UBIN0996335 Branch – UBI, FCS Centre 21/1 III Floor Jelitta Towers Mission Road Bengaluru-560027 UTR No. – BARBRS2024032200929788 Dt. Of Transaction – 22 Mar 2024
	(ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	(ख) उक्त परियोजना हेतु दानीबंगर बीट, गौला राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग के 0.126 है0 में वृक्षारोपण किया जायेगा। जिसकी पौधारोपण योजना, डिजिटल मानचित्र संलग्न है। (संलग्न - 3)
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एस0पी कार्य, प्रस्तावित कैंचमैंट एरिया ट्रीटमैंट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।	(ग) उक्त बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाती है। अतः विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त बिन्दु का अनुपालन कर दिया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो क्षतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभ की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अंतिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा । इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उर्पयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्राक 5–1/1998–एफ.सी.(Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण	(क) प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि इस प्रस्ताव के तहत 0.063 हे. वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य CAMPA को जमा करा दी गई है। जमा धनराशि का विवरण इस प्रकार है– वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 60,340.00 बैंक आफ बड़ौदा, शाखा हल्द्वानी द्वारा चालान के माध्यम से यूनियन

	से प्राप्त प्रस्ताव के तहत 0.63 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी । (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	बैंक ऑफ इंडिया के निम्न खाते में जमा कर दी गयी है । ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्य की प्रति संलग्न की जा रही है। UTTARANCHAL CAMPA, A/C No. 150891991517591 64 IFSC Code – UBIN0996335 Branch – UBI, FCS Centre 21/1 III Floor Jelitta Towers Mission Road Bengaluru-560027 UTR No. – BARBRS2024032200929788 Dt. Of Transaction – 22 Mar 2024 (ख) प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 07 वृक्षों एवं पातन हेतु 04 यूकेलिप्टस वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
8	गाईडलाइन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राजय सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी । साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनाक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

9	एफआरए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि एफआरए, 2006 के अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 40–46 पर संलग्न है । प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनुपालन आख्या के साथ प्रेषित है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को रा जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से वैकल्पिक ईधन विशेषतः लकडी, पर्याप्त दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
14	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जाएगा ।

	के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के उपरोक्त संदर्भित पत्र से अवगत कराया है कि दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दुवार आख्या एवं संलग्नकों की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।

पत्रांक– 6594 उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी, हल्द्वानी।

(हिमांशु बागरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

प्राप्त किया
... सिंह ...
...420401

कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेल: cfwkum-forest-uk@nic.in

पत्र संख्या 1620 / 12-1 हल्द्वानी, दिनांक, 20-5-2024।

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी
प्राप्ति सं० 12810
पंजी० सं० 12-1
दिनांक 22/5/24

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद–नैनीताल हल्द्वानी में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–309/2023 के अंतर्गत शहीद स्मारक जड़ सैक्टर बिन्दुखत्ता में शहीद स्मारक से लगी वन विभाग की 01 बीघा भूमि पर प्रशिक्षण एवं आजीविका संवर्धन हेतु विकास केन्द्र के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सैनिक कल्याण एवं पुर्नवास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–8बी./यू.सी.पी./09/40/2022/एफ0सी0/1180 दिनांकः 05.12.2022।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 6594/12–1 दिनांक 10.05.2024 से सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्न प्रकार हैः–

क.सं.	शर्तें	अनुपालन
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नही बदली जायेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वन भूमि सौपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए 126 पौधों का रोपण कार्य किया जाएगा एवं दस वर्षो तक रखरखाव हेतु धनराशि @ CA rate for 0.126 ha area (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें तथा प्रतिपूरक वृक्षारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण के लिए धनराशि रू0 2,23,146.00 बैंक आफ बडौदा, शाखा हल्द्वानी द्वारा चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निम्न खाते में जमा कर दी गयी है। ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्य की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। UTTARANCHAL CAMPA, A/C No. 150891991517591 64 IFSC Code – UBIN0996335 Branch – UBI, FCS Centre 21/1 III Floor Jelitta Towers Mission Road Bengaluru-560027 UTR No. – BARBRS2024032200929788 Dt. Of Transaction – 22 Mar 2024
	(ख) राज्य सरकार पौधारोपण योजना एवं क्षेत्र का नाम एवं coordinates अंकित करते हुए डिजिटल मानचित्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।	(ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त परियोजना हेतु दानीबंगर बीट, गौला राजि तराई पूर्वी वन प्रभाग के 0.126 है0 में वृक्षारोपण किया जायेगा। जिसकी पौधारोपण योजना, डिजिटल मानचित्र प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है।

क्र.सं.	शर्तें	अनुपालन
	(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एस0पी कार्य, प्रस्तावित कैंचमैंट एरिया ट्रीटमैंट क्षेत्र और डब्लू0एल0एम0पी0 क्षेत्र को राज्य सरकार अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वाच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।	(ग) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाती है। अतः विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त बिन्दु का अनुपालन कर दिया जायेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो क्षतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा । इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202 / 1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पंत्राक 5–1 / 1998–एफ.सी.(Pt-2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 0.63 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी ।	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार इस प्रस्ताव के तहत 0.063 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य CAMPA को जमा करा दी गई है। जमा धनराशि का विवरण इस प्रकार है– वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि रू0 60,340.00 बैंक आफ बडौदा, शाखा हल्द्वानी द्वारा चालान के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निम्न खाते में जमा कर दी गयी है । ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्य की प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। UTTARANCHAL CAMPA, A/C No. 15089199151759164 IFSC Code – UBIN0996335 Branch – UBI, FCS Centre 21/1 III Floor Jelitta Towers Mission Road Bengaluru-560027 UTR No. – BARBRS2024032200929788 Dt. Of Transaction – 22 Mar 2024
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोंट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण स वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार शपथ पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 07 वृक्षों एवं पातन हेतु 04 यूकेलिप्टस वृक्षों से अधिक नही होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

क.सं.	शर्ते	अनुपालन
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://pariyesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किए जायेंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
8	गाईडलाइन में दिए गए दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नही की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार एफआरए, 2006 के अनुपालन संबंधी प्रमाण पत्र वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या 40–46 पर संलग्न है। प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रभागीय वनाधिकारी की अनुपालन आख्या के साथ प्रेषित है।
10	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
11	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
12	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकडी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
14	संबंधित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर०सी०सी पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
15	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
16	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
17	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

क.सं.	शर्ते	अनुपालन
18	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जाएगा।
19	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
20	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
21	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
22	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार दिए गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा० विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

पत्रांक 1620 / / तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 6594/12–1 दिनांक 10.05.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(डा० विनय भार्गव)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।